प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 10.10.2024

थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा मोबाइल लूट की घटना करने वाले 02 अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल/गिरफ्तार , कब्जे से लूट के 02 मोबाइल, 7800/- रूपये , एवं घटना में प्रयुक्त चोरी की मोटर साइकिल व अवैध अस्लाह ,कारतूस बरामद ।

दिनांक 09.10.2024 को थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा DPS सर्विस रोड़ पर चेकिंग की जा रही थी । चेकिंग के दौरान एक मोटर साइकिल UP38V7499 से 02 व्यक्ति चेहरे पर कपड़ा बांधे हुये आते दिखाये दिये जिनको पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो मोटर साइकिल चालक द्वारा मोटर साइकिल को धीरे करके पास आने पर तेज गति से DPS अन्डर पास के नीचे हिन्डन सर्विस रोड़ की ओर भागने लगे। पुलिस द्वारा मोटर साइकिल सवार व्यक्तियों का पीछा किया गया तो हिन्डन सर्विस रोड़ पर बने तीव्र मोड़ पर मोटर साइकिल अनियन्त्रित होकर गिर गयी । मोटर साइकिल सवार व्यक्तियों द्वारा पकड़े जाने के डर से पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करते हुये भागने लगे । जिसमें आत्मरक्षार्थ में पुलिस पार्टी द्वारा भी सिखलाये गये तरीके से अभियुक्तगणों पर फायरिंग की गयी जिसमें अभियुक्तगण 1. नोनू उर्फ चेतन्य पुत्र सुरेन्द्र रावत निवासी प्लाट नं0 36 छपरौला , डिफेन्स कालोनी थाना बादलपुर जनपद गौतमबुद्धनगर (पुलिस मुठभेढ़ में घायल) 2. दीपक अरोरा पुत्र अशोक अरोरा निवासी रेलवे इन्कलेव – II निकट कर्नल पब्लिक स्कूल गिरधरपुर थाना बादलपुर जनपद गौतमबुद्धनगर को DPS अन्डर पास के नीचे हिन्डन सर्विस रोड़ से घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल व लूट के 02 मोबाइल व रूपयों एवं अवैध अस्लाह के साथ गिरफ्तार कर लिया गया । घायल अभियुक्त नोनू उर्फ चेतन्य को ईलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया । आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि साहब हम लोग नशा करते है तथा जब हम लोगो को पैसों की जरूरत होती है तो हम दोनों रहा चलते व्यक्तियों से उनके मोबाइल, रूपये आदि सामान लूट कर भाग जाते है । पिछले महीने में हमने विजयनगर जीवन ज्योति हॉस्पिटल व बुद्धबाजर से 02 मोबाइल व 01 मोबाइल लालकुआं से लूटा था । जिनको हमने राह चलते व्यक्तियों को बेच दिया था तथा रूपयों को आपस में बांट लिया था । जो रूपये हमसे बरामद हुये है वह उन्ही में से बचे हुये रूपये है । आज भी हम दोनों लूट करने की फिराक में घूम रहे थे । कि पुलिस द्वारा पकड़ लिये गये । बरामद मोटर साइकिल के सम्बन्ध में पूछने पर बताया कि यह मोटर साइकिल हमने जिला चिकित्सालय एम.एम.जी. गाजियाबाद से चोरी की थी ।

नाम पता अभियुक्त

1. नोनू उर्फ चेतन्य पुत्र सुरेन्द्र रावत निवासी प्लाट नं0 36 छपरौला , डिफेन्स कालोनी थाना बादलपुर जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र 23 वर्ष । (पुलिस मुठभेढ़ में घायल)
2. दीपक अरोरा पुत्र अशोक अरोरा निवासी रेलवे इन्कलेव – II निकट कर्नल पब्लिक स्कूल गिरधरपुर थाना बादलपुर जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र 24 वर्ष ।

बरामदगी का विवरणः-

1. घटना में प्रयुक्त चोरी की 01 मोटर साइकिल (रजिस्ट्रेशन नम्बर UP38V7499) ।
2. 01 अवैध तमंचे .315 बोर , 01 जिन्दा , 01 खोखा कारतूस .315 बोर (मुठभेड में बरामद)
3. 02 मोबाइल लूट हुये व 7800/- रूपये बरामद ।

अभियुक्तगण का अपराधिक इतिहासः-

अभियुक्त **नोनू उर्फ चेतन्य** पर – 01 अभियोग गैंगस्टर एक्ट , 08 अभियोग लूट , मारपीट, आयुध अधिनियम से सम्बन्धित थाना इन्दिरापुरम व 02 अभियोग लूट के थाना विजयनगर कमिश्नरटे गाजियाबाद तथा 03 अभियोग जनपद गौतमबुद्धनगर पर पंजीकृत है ।

अभियुक्त **दीपक अरोरा** पर - 02 अभियोग लूट व मारपीट के दिल्ली पर व 02 अभियोग थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद पर पंजीकृत है।

गिरफ्तार एंव बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना विजयनगर पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा एक मोटरसाइकिल पर सवार एक गौकश अपराधी से हुई मुठभेड़ मे अपराधी गोली लगने से हुआ घायल/गिरफ्तार,कब्जे से एक तमंचा, एक जिन्दा व एक खोखा कारतूस, मोटरसाइकिल बरामद

दिनांक 09.10.24 को मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान निठौरा अन्डर पास की तरफ जाने वाले मार्ग पर थाना लोनी पुलिस द्वारा अपराधी एवं थाना लोनी पुलिस में हुई मुठभेड़ के दौरान एक गौकश अपराधी शरीफ पुत्र कल्लू निवासी निठौरा रोड बबलू गार्डन लोनी उम्र करीब 38 वर्ष मुठभेड़ के दौरान बायें पैर में गोली लगने से घायल/गिरफ्तार हुआ है। मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व से थाना लोनी पर गौवध के अभियोग दर्ज हैं।

अभियुक्त का नाम/पता

शरीफ पुत्र कल्लू निवासी निठौरा रोड बबलू गार्डन लोनी उम्र करीब 38 वर्ष

बरामदगी का विवरण

1-चोरी की एक मोटरसाइकिल,

2- 01 तमंचा 315 बोर

3- 02 कारतूस (जिन्दा/खोखा)

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना लोनी पुलिस टीम

थाना मसूरी पुलिस द्वारा लूट की झूठी सूचना देने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार ,कब्जे से पीली धातु व सफेद धातु के आभूषण बरामद।

दिनांक 08.10.2024 को थाना मसूरी पुलिस को थाना क्षेत्र के ग्राम नाहल से एक महिला व उसके एक छोटे बच्चे को चाकू से डरा धमका कर जेवरात आदि लूट कर ले जाने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई । उक्त घटना के सम्बन्ध में दिनांक 09.10.2024 को थाना मसूरी पर वादी खुशी मौ0 पुत्र इमामुददीन निवासी ग्राम नाहल द्वारा एक तहरीर दी गई जिसके आधार पर थाना मसूरी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया एवं घटना के अनावरण व गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 10.10.2024 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज , सीडीआर व मैनुअल इनपुट के आधार पर मुकदमा उपरोक्त की घटना का सफल अनावरण करते हुये अभियुक्त साजिद पुत्र इंतजार निवासी ग्राम सिकरोड़ा थाना मसूरी कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष व अभियुक्ता मुस्कान पत्नी खुशी मौहम्मद निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष को गंग नहर पुल से मसूरी जाने वाली कच्ची पगडण्डी से मय घटना से सम्बन्धित पीली व सफेद धातु के आभूषण व मोबाइल फोन सहित गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण –</u>

दोनों अभियुक्तों से पूछताछ करने पर बताया कि दोनों ने अपने जुर्म को स्वीकार करते हुये मुस्कान पत्नी खुशी मौहम्मद निवासी नाहल उम्र करीब 21 वर्ष ने बताया कि मेरी शादी करीब 1.5 वर्ष पूर्व ग्राम नाहल में खुशी मौहम्मद के साथ हुयी थी मेरा मायका ग्राम सिकरोडा थाना मसूरी का है। मेरे एक 6 महीने का छोटा बच्चा भी है। मेरे नन्द सलमा जिसकी शादी ग्राम तोडी थाना भोजपुर में हुयी है उसकी तबियत खराब चल रही है वह हास्पीटल एडमिट है हास्पीटल में एडमिट होने से पहले वह अपने कीमती जेवरात गले का पैण्डल , कुण्डल आदि सामान मेरे पास रख कर गयी थी इन्हे सुरक्षित रख लेना तथा मेरी किठौर वाली नन्द मुस्कान करीब 01 हफ्ता पूर्व हमारे यहाँ आयी थी तो उनका कीमती सामान गले का सैट , हाथ की हथकूल आदि मेरे पास रख गयी थी कि बाद में आऊगी तो ले लूगी व मेरी नन्द नजमा करीब 15-20 दिन से हमारे घर पर ही रह रही थी तो उनका भी गले का हार व कान के बुन्दे आदि भी मेरे पास रखे हुये थे। उक्त सभी सामान कीमती था जिसे देखकर मेरे मन में लालच आ गया कि उन लोगो ने सभी सामान मुझे सुरक्षित रखने के लिये दिया है यदि इसे मैं गायब कर दू तो सारा सामान मेरा हो जायेगा और मुझ पर काफी कीमती जेवरात इकट्ठे हो जायेगे अतः मैने योजनाबद्ध तरीके से अपने चाचा साजिद पुत्र इन्तजार निवासी सिकरोडा थाना मसूरी से मैने फोन पर बातचीत करके कीमती जेवरात हडपने की पूरी योजना बनायी दिनाँक 08.10.2024 मेरे पति व मेरा जेठ घर से सुबह अपने काम पर चले गये थे तथा मेरी सास व नन्द हास्पीटल में मेरी नन्द सलमा को देखने चली गयी थी। घर पर मै थी व मेरा एक छोटा देवर गुलजार था जो हमारे घर में बनी दुकान में बैठा हुआ था योजनाबद्ध तरीके से मैने अपने चाचा साजिद को फोन करके सारी बात बता दी थी। समय करीब 11.30 बजे मेरा चाचा साजिद मेरे घर पर आये और सैफ में रखे सभी कीमती जेवरात जिसमें मेरे अपने भी जेवरात व मेरी नन्दो के जेवरात थे जो उन्होने मुझे सुरक्षित रखने के लिये दिये थे वो सभी जेवरात साजिद को दे दिये और योजनाबद्ध तरीके से साजिद ने मेरे दुपट्टे से मेरे हाथ और पैर हल्के से बाँध दिये थे ताकि जब हम लूट की सूचना देगे तो कोई आयेगा तो देखेगा तो घटना सही लगेगी। इसके बाद साजिद सारा सामान लेके वहाँ से चला गया हमारी आपस में बात हो गयी थी सारे जेवरात को सुरक्षित रख लेना जब मामला शान्त हो जायेगा तब हम लोग इन जेवरात को आपस में बाँट लेगे साजिद के जाने के बाद मैने शोर मचाया तो मौहल्ले की चाची सोना मेरे शोर की आवाज सुनकर मेरे घर पर आ गयी थी तब उन्होने मेरा दुपट्टे से हाथ पैर खोला था तो उन्हे भी मैने बताया कि एक व्यक्ति मुह पर रूमाल बाँधकर घर में घुस आया था उसने मेरे व मेरे बच्चे की गर्दन पर चाकू रख दिया था व दुपट्टे से मेरे हाथ बाँध दिये थे और सैफ में रखा सभी कीमती आभूषण लूट कर वह भाग गया मेरी चाची ने आसपास के मौहल्ले वालो को बताया तथा मेरे परिवारी जन को बताया मेरे घरवालों ने आकर पुलिस को सूचना दी थी पुलिस के पूछने पर भी सारी घटना जो मैने योजनाबद्द तरीके से बनायी थी वही पुलिस को बतायी थी। सोने चाँदी के जेवरात के लालच में आकर मैने अपने चाचा साजिद के साथ मिलकर योजना बनायी थी और लूट की झूठी सूचना दी थी। उपरोक्त सभी बयान का समर्थन अभियुक्त साजिद उपरोक्त ने भी किया व जुर्म को स्वीकार किया उसने भी बताया मैने और मुस्कान ने मिलकर ये सारी योजना बनायी थी हम दोनो से गलती हो गयी है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त व अभियुक्ता का नाम-</u>

1- साजिद पुत्र इंतजार निवासी ग्राम सिकरोड़ा थाना मसूरी कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष

2- मुस्कान पत्नी खुशी मौहम्मद निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष

<u>बरामदगी का विवरण-</u>

1- एक डिब्बे में – 01 गले का हार पीली धातु , 01 जोडी टाप्स पीली धातु।

2- एक डिब्बे में – 01 गले का हार पीली धातु , 01 जोडी कुण्डल पीली धातु , 01 जोडी झुमकी पीली धातु ,01 जोडी टोप्स पीली धातु ।
3- एक डिब्बे में – 03 चैन गले की सफेद धातु ,02 छल्ले सफेद धातु ।
4- एक डिब्बे में – 01 मंगल सूत्र काले मोती माला पीली धातु ।
5- एक डिब्बे में – 01 अंगूठी पीली धातु , 01 पैण्डल व 02 नाक के छल्ले पीली धातु ।
6- एक डिब्बे में – 01 गले का हार पीली धातु ।
7- एक डिब्बे में – 06 जोडी पाजेब सफेद धातु ।
8- एक डिब्बे में – 03 जोडी हथफूल सफेद धातु ।
9- एक डिब्बे में – 01 जोडी कडे सफेद धातु बच्चे के ।
10-एक डिब्बे में – 06 अंगूठी सफेद धातु ।
11-एक डिब्बे में – 02 बच्चो की हाय व 02 जोडी हाथ के कण्डुले सफे धातु ।
12-एक डिब्बे में – 06 जोडी बिछुवे सफेद धातु ।
13-एक डिब्बे में – 01 हार सफेद धातु
14-एक मोबाइल फोन ओप्पो कम्पनी ।

आपराधिक इतिहास

अभियुक्त साजिद व अभियुक्ता मुस्कान के विरुद्ध थाना मसूरी पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है,

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

थाना मसूरी पुलिस टीम ।

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस द्वारा टीम द्वारा चोरी/लूट करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्ज़े से चोरी की मोटरसाइकिल, लूटा गया 01 मोबाईल व 02 अवैध चाकू बरामद ।

दिनांक 09.10.24 को वादी श्री जाहिद खाँ निवासी N 84 Block सै0 23 संजयनगर थाना मधुबन बापूधाम गाज़ियाबाद ने एक लिखित तहरीर दी कि दिनांक 04.10.2024 को तीन अज्ञात चोरों द्वारा मेरी मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई है । घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना मधुबन बापूधाम पर सुसंगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत किया गया

दिनांक 10.10.2024 को संदिग्ध वाहन/व्यक्ति चेकिंग के दौरान थाना मधुबन बापुधाम पुलिस टीम द्वारा मोटरसाईकिल चोरी करने वाले अभियुक्तों को अक्षय एन्कलेव तिराहे के पास से चोरी की मोटरसाइकिल, लूटा गया 01 मोबाईल व 02 अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया है व अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों नें पूछताछ पर बताया कि हम लोग नशे के आदी है । अपने नशे के शौक को पूरा करने के लिए हम तीनों मिलकर मोटरसाइकिल चोरी एवं बाजारों में राहगीरों से मोबाईल लूट लेते है । साहब यह मोटरसाइकिल हम तीनों ने मिलकर करीब 01 सप्ताह पहले यही सेक्टर 23 संजय नगर से चोरी की थी । यह चाकू हम लोगो डराने धमकाने के लिए रखते है । आज भी हम चोरी करने के लिये जा रहे थे ।

नाम पता अभियुक्त

1. बादल पुत्र कैलाश नि0 म0न0 डीएस -825 बम्बे कालोनी नंदग्राम थाना नंदग्राम जनपद गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष
2. अमित उर्फ चीनू पुत्र राजकुमार नि0 गुलधर सेकेंड न्यू फ्रेडस कलोनी सेक्टर-23 संजय नगर थाना मधुबन बापूधाम जनपद गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष
3. विट्टू पुत्र बद्रीप्रसाद नि0 गली नं0 08 बालाजी एन्कलेव गोविन्दपुरम थाना कविनगर जिला गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष

अपराधिक इतिहास अभियुक्त बादल

अभियुक्त बादल के विरुद्ध थाना नन्दग्राम में चोरी के 02 अभियोग, जनपद बरेली में आयुद्ध अधि0 का 01 अभियोग, थाना मधुबन बापूधाम पर चोरी का 01 अभियोग कुल 04 अभियोग पंजीकृत है।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त अमित उर्फ चीनू

अभियुक्त अमित उर्फ चीनू के विरुद्ध थाना कविनगर में चोरी के 03 व आयुद्ध अधिनियम का 01 अभियोग, थाना मधुबन बापूधाम पर एनडीपीएस एक्ट 01, चोरी का 01 व आयुद्ध अधि0 का 01 अभियोग कुल 07 अभियोग पंजीकृत है।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त विट्टू पुत्र बद्रीप्रसाद

अभियुक्त विट्टू पुत्र बद्रीप्रसाद के विरुद्ध थाना कविनगर में चोरी का 01 अभियोग, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में लूट के 02 अभियोग, थाना मधुबन बापूधाम पर चोरी का 01 अभियोग व आयुद्ध अधि0 का 01 अभियोग कुल 05 अभियोग पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरण

1. 01 मोटरसाईकिल अपाचे UP17E 6193
2. 02 **अवैध** चाकू
3. 01 मोबाईल

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम।

थाना वेव सिटी पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से मोबाइल फोन बरामद।

दिनांक 06.10.2024 को थाना वेव सिटी पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त सुहेल पुत्र युसुफ द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म करना, अश्लील वीडियो बनाना, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना, किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देना व जाति सूचक शब्द बोलना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना वेवसिटी पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किय गया।

तत्पश्चात दिनांक थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इनपुट की मदद से मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त सुहेल अलवी पुत्र युसुफ अलवी निवासी लुहारों वाली मस्जिद वार्ड नं0 04, मौहल्ला खारी कुआँ, डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद को थाना क्षेत्र वेव सिटी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि वादी की पुत्री मेरे पास वाले स्कूल में ही पढ़ती थी इसी दौरान उक्त लड़की से मेरी जान पहचान व दोस्ती हो गई थी और एक दिन मौका पाकर मैं इस लडकी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था तथा शारीरिक संबंध बना लिये और वीडियो बना कर अपने दोस्तो को शेयर कर दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

सुहेल अलवी पुत्र युसुफ अलवी निवासी लुहारों वाली मस्जिद वार्ड नं0 04, मौहल्ला खारी कुआँ, डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब19 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना वेव सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत है।अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना वेव सिटी पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा छिनैती व वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से छीने गये मोबाइल फोन, चोरी की 02 मोटरसाइकिल व 1400/- रुपये बरामद।

दिनांक 09.10.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर वादी द्वारा लिखित सूचना कि जब वह सुबह के समय अपने कुत्ते को घुमाने लेकर जा रहे थे तो ग्लेरिया मार्किट के पास थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में मोटरसाइकिल सवार 02 अज्ञात व्यक्तियो द्वारा उनका फोन छीन लिया तथा मौके से फरार हो गये। प्राप्त तहरीर के आधार थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 10.10.2024 को थाना क्रासिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज , मैनुअल इनपुट आदि के आधार पर उपरोक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर प्रकाश में आये अभियुक्त 1. वंश पुत्र खेमचन्द शर्मा निवासी ग्राम गनौरा थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर हाल पता शंकर फार्म हाउस के पास तिगरी गोल चक्कर थाना क्रोसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद 2. शिवम शर्मा उर्फ बुड्डा पुत्र नरेश शर्मा निवासी लाल क्वाटर थाना क्रोसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद को रिछपाल गढी की पुलिया के पास थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तों के कब्जे से घटना से सम्बन्धित छीना गया मोबाइल फोन तथा क्रॉसिंग रिपब्लिक से महिला से छीनी गयी चैन के टुकडे को बेचने पर बचे शेष 1400 रुपये, थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र मे चोरी की गयी मोटरसाइकिल जो छिनैती की घटना मे प्रयुक्त की गयी तथा थाना विजयनगर क्षेत्र से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुए । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया गया कि हम दोनों सोसायटी के आस पास घूमते रहते हैं जो महिला या पुरुष कोई फोन या ज्वेलरी पहने होते हैं हम धीरे से उनके पास जाकर उनसे मोबाइल या ज्वैलरी को छीन लेते हैं तथा राह चलते व्यक्ति को अपनी मजबूरी बताकर उन्हें सस्ते दामों पर बेच देते हैं । हमसे जो मोटरसाइकिलें मिली हैं ये मोटरसाइकिलें हमने थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक व थाना विजयनगर क्षेत्र से चोरी की थी तथा पुलिस से बचने के लिए हमने एक मोटर साइकिल की नम्बर प्लेट को तोड कर फेंक दिया था तथा इसी मोटरसाइकिल से हम दोनों ने मिलकर ग्लेरिया मार्किट के पास से कल सुबह एक व्यक्ति से मोबाइल फोन छीन लिया था जो हमसे मोबाइल फोन मिला है यह वही मोबाइल फोन है । इस मोबाइल फोन को हम किसी राह चलते व्यक्ति को बेचना चाहते थे परन्तु उससे पहले आपने हमें पकडे लिया तथा हमसे जो 1400/- रुपये बरामद हुए हैं कुछ दिन पहले हमने क्रॉसिंग रिपब्लिक से एक महिला से उसकी चैन को छीना तो चैन आधी टूट गयी तथा आधी चैन हमारे हाथ मे आ गयी जिसको हमने राह चलते व्यक्ति को बेच दिया ये रूपये उसी के हैं तथा शेष रुपये मौज मस्ती मे खर्च कर दिये तथा एक मोटरसाइकिल को हमने प्रताप बिहार थाना क्षेत्र विजयनगर से चोरी की थी जिसको हमने किसी राह चलते व्यक्ति को सस्ते दामों पर बेचने के लिए छुपा कर रखा था ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता –

1. वंश पुत्र खेमचन्द शर्मा निवासी ग्राम गनौरा थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर हालपता शंकर फार्म हाउस के पास तिगरी गोल चक्कर थाना क्रोसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद, उम्र करीब 21 वर्ष ।

2.शिवम शर्मा उर्फ बुड्डा पुत्र नरेश शर्मा निवासी लाल क्वाटर थाना क्रोसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण-

(1) मोबाइल फोन (थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से छीना गया)
(2) 1400 रुपये (थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से छीनी गयी चैन के टुकडे को बेच कर बचे शेष रुपये)
(3) थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से चोरी तथा छिनैती की घटना में प्रयुक्त की गयी मोटरसाइकिल
(4) थाना विजयनगर क्षेत्र से चोरी की गयी मोटरसाइकिल बरामद ।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्तों के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर 02 लूट के अभियोग व चोरी की मोटरसाइकिल बरामद होने के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है तथा थाना विजयनगर पर चोरी से सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत है ।

अभियुक्त वंश के विरुद्ध थाना विजयनगर पर 01 लूट, 01 चोरी का सामान बरामद होना व 01 आयुध अधिनियम तथा थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर पर 01 चोरी का माल बरामदगी व 01 आयुध अधिनियम के अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम ।

थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा विशेष समुदाय के व्यक्तियों द्वारा नारेबाजी कर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

उपरोक्त प्रकरण में अभी तक कुल 18 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 04.10.2024 को थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा सैंकडों अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जमा होकर डासना देवी मन्दिर के सामने विशेष समुदाय के ईष्ट पर टिप्पणी के विरोध स्वरूप को लेकर नारेबाजी व सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के सम्बन्ध में थाना वेव सिटी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गई।

आज दिनांक 10.10.2024 को थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा मैनुअल ईनपुट व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 03 अभियुक्तों 1.शाहिद पुत्र फराकत अली निवासी बाबू चैयरमेन की घर के पास, वार्ड नं0 03, उस्मान गढी कालोनी, डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद 2. हासिम कुरैशी पुत्र साहबुद्दीन निवासी किले वाली मस्जिद मौहल्ला किला डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद 3. जावेद पुत्र जखी खाँ निवासी जावेद मैम्बर के पास, मौहल्ला बाजीगरान, डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्त प्रकरण में अभी तक कुल 18 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

<u>पूछताछ का विवरणः-</u>

अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि हमारे ईष्ट पर दूसरे समुदाय के व्यक्तियों द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी जिससे हमारी धार्मिक भावना को ठेस पहुँची थी जिसके कारण हम लोगों ने रोष में आकर इकट्ठा होकर नारेबाजी करना शुरू कर दिया था। हम लोगों में उस दिन बहुत गुस्सा था तथा पुलिस द्वारा हमें समझाया व रोका गया परन्तु हम नहीं माने और फिर हम लोग वहाँ से भाग गये थे। बाद में हमे पता चला था कि हमारे खिलाफ मुकदमा लिख गया है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता</u>

1. शाहिद पुत्र फराकत अली निवासी बाबू चैयरमेन की घर के पास, वार्ड नं0 03, उस्मान गढी कालोनी, डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 31 वर्ष।
2. हासिम कुरैशी पुत्र साहबुद्दीन निवासी किले वाली मस्जिद मौहल्ला किला डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष।
3. जावेद पुत्र जखी खाँ निवासी जावेद मैम्बर के पास, मौहल्ला बाजीगरान, डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 25 वर्ष।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

थाना वेव सिटी पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 08.10.2024 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादिया द्वारा एक तहरीर दी कि अभियुक्तों द्वारा वादिया को नशीला पदार्थ पिलाकर उसके गलत काम करना, मारपीट व गाली गलौज करना। प्राप्त तहरीर के आधार पर

थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया तथा गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया। घटनास्थल के आस-पास के सीसीटीवी कैमरे, मैनुअल इनपुट आदि की मदद ली गयी।

तत्पश्चात आज दिनांक 10.10.24 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त 1. वाजिद 2. अफसर खान उर्फ शिब्बू पुत्र रहमतमीन खाँ निवासी आश्रम रोड़ विकास कुंज लोनी गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्त अफसर खान उर्फ शिब्बू ने पूछने पर बताया कि वाजिद मेरे साथ पहले से मजदूरी का काम करता था हम एक दूसरे को पहले से जानते थे वाजिद ने मुझसे कहा कि मुझे 300 रुपये की जरूरत है तो वाजिद मुझे अपने घर ले गया और हम दोनों ने वहा पर शराब पी और फिर वाजिद ने मुझसे 300 रुपये मांगे और कहा कि तू मेरी पत्नी के साथ एक रात गुजार ले तो मेंने वाजिद की पत्नी के साथ गलत काम कर दिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. वाजिद, उम्र 25 वर्ष
2. अफसर खान उर्फ शिब्बू निवासी आश्रम रोड़ विकास कुंज लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 34 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्तों के विरुद्ध उपरोक्त घटना के संबंध में थाना थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

देश भर के मोबाइल टावरों के उपकरण चोरी करने व उनको विदेश भेजने वाले वाले अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह के सरगना शातिर / वाँछित अपराधी गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का करीब 35 लाख रूपये का माल बरामद।

दिनाँक-03/05/2024 को क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा गाजियाबाद, दिल्ली एन0सी0आर क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र व मध्यप्रदेश में जियो व एअरटेल के मोबाइल टावरों से बैट्री, आर0आर0 यूनिट व अन्य इलैक्ट्रानिक डिवाईस चोरी करने वाले शातिर अपराधियों के अन्तर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 06 अभियुक्तों को थाना नन्दग्राम क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गयी थी गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से जियो व एअरटेल कम्पनी के रेडियो रिसीवर यूनिट, मोबाइल टावरों की बैट्रियाँ, मोबाइल टावर ड्यूप्लैक्सर, आई0डी0यू0, बी0बी0यू0, ओ0डी0यू0 व इलैक्ट्रोनिक डिवाईसेस तथा चोरी करने में प्रयोग किये जाने वाले उपकरण व घटना करने में प्रयुक्त होण्डा सिटी कार व टाटा मैजिक (छोटा हाथी) गाडी बरामद हुई थी जिसमें 07 अभियुक्त फरार थे जिसमें से 06 अभियुक्तों जुबैर, अल्ताफ, नईम, वसीम, मेहराजुद्दीन, शहजाद को पूर्व में गिरफ्तार कर उनसे काफी मात्रा में मोबाइल टावरों की रेडियो रिसीवर यूनिट व अन्य उकरण बरामद हुए थे इस गिरोह का सरगना जावेद मीरापुरिया दुबई भाग गया था जिसके गिरफ्तारी हेतु लुकआउट नोटिस जारी कराने की कार्यवाही गयी थी।

इसी क्रम में दिनाँक-08/10/24 की रात्रि को जावेद उर्फ जावेद मीरापुरिया जब दुबई जाने की फिराक मे था उसी समय इन्दिरा गाँधी इण्टरनेशनल एयरपोर्ट के इमिग्रेशन डिपार्टमेन्ट द्वारा दिल्ली पुलिस को अभियुक्त जावे द के दुबई जाने की सूचना दी गयी इस पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल द्वारा जावेद को हिरासत मे ले लिया गया तथा गाजियाबाद पुलि को सूचित किया गया जिस पर क्राईम ब्रान्च व थाना नन्दग्राम की पुलिस ने दिल्ली जाकर अभियुक्त जावेद का माननीय न्यायालय पटियाला हाऊस नई दिल्ली से ट्रान्जिट रिमाण्ड लेकर नन्दग्राम गाजियाबाद आये अभियुक्त द्वारा पूछताछ पर मोबाइल टावरो से रेडियो रिसीवर यूनिट व अन्य उपकरण चोरी करना व करवाना तथा उसको देश से बाहर दुबई व चाईना

भेजना बताया गया अभियुक्त की निशानदेही पर मोबाइल टावर से सम्बन्धित आर0आर0यू0 व ड्यूप्लेक्सर बरामद करने मे महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गयी है। अभियुक्त जावेद उर्फ जावेद मीरापुरिया की गिरफ्तारी पर पूर्व में थाना नन्दग्राम के अभियोग में गाजियाबाद से रू0 1,00,000/- का पुरूस्कार घोषित था।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ पर पकडे गये शातिर अभियुक्त जावेद उर्फ जावेद मीरापुरिया ने बताया कि वह कक्षा-3 तक पढा है इसके 02 भाई व 05 बहने है, जावेद के पिता मोबाइल के पत्ते व कम्प्यूटर के कबाडे की फेरी का काम करते थे पढाई छोडकर वह भी अपने पिता के साथ कम्प्यूटर के कबाडे का काम सीखने लगा काम सीखने के बाद जावेद ने खुद का काम शुरू कर दिया। इसके बाद मोबाइल के पत्तो का कबाड का काम शुरू किया जिसमे काफी फायदा हुआ और मार्केट मे जावेद को काफी लोग जानने लगे इसी बीच नोट बन्दी हो गयी जिसमें उसके पास काफी माल रूक गया फिर धीरे धीरे उसने यमुना विहार दिल्ली के रहने वाले अबरार के साथ काम शुरू किया जो मोबाइल के कबाड को चाईना मे सप्लाई करता था जब चाईना की पार्टियों से जावेद का सम्पर्क हो गया तो वह अबरार से अलग हो गया। लॉकडाउन के बाद वर्ष 2020 में दिनेश नाम का व्यक्ति जो आर0आर0यू0 के कबाड का काम करता था मुस्तफाबाद में जावेद से मिला और उसने बताया कि आर0आर0यू0 को तोडकर बेचने के बजाय पूरा सप्लाई करो तो 8500 रू प्रति आर0आर0यू0 दूँगा। जावेद ने आस-पास के मार्केट से आर0आर0यू0 इकट्ठा कर दिनेश को देना शुरू कर दिया जो विशाखापट्टनम में किसी को बेचता था जो माल को दुबई भिजवाता था। इसी बीच दिनेश चोरी के आर0आर0यू0 में आगरा से जेल चला गया तो जावेद ने दिनेश के साथ काम करने वाले लडके से दुबई का पता ले लिया और दुबई चला गया वहाँ जाकर लेवल – 3 कम्पनी के मालिक अलीमुद्दीन जो हैदराबाद का रहने वाला था से मुलाकात की और उसे डायरेक्ट माल अपने फर्म कशफ इन्टरप्राईजेज के नाम से भेजने लगा। धीरे-धीरे आर0आर0यू0 की डिमाण्ड बढने लगी इसी बीच दिनेश जेल से छूटकर सीलमपुर के नसीम टिड्डा के साथ फिर से काम करने लगा और मार्केट मे कम्पटीशन बढ गया जिससे माल मंहगा खरीदा जाने लगा। वर्ष 2021 में दिनेश चाणक्यपुरी दिल्ली से जेल चला गया उसी बीच हाजी जावेद सीलमपुर वाले ने ये काम शुरू किया हम दोनो ने मिलकर एक गिरोह बनाया जिसमें इनके अलावा अल्ताफ, सोहेल, वसीम, राहुल गोयल, शुऐब, कैफ मलिक, सुमित कासाना, जुबैर, शहजाद, नईम, मेहराजुद्दीन व जावेद का भाई वसीम व इनके सम्पर्क मे आने वाले कई चोर शामिल थे। जो देश के विभिन्न राज्यों से मोबाइल टावरो की रेडियो रिसीवर यूनिट, बैट्री, ड्यूप्लैक्सर व अन्य सामान चोरी करके लाते थे जब 50-60 आर0आर0यू0 हो जाती थी तो जावेद ट्रान्सपोर्ट के जरिये कन्टेनर से समुद्री जहाज या हवाई जहाज से वीफोन कम्पनी हॉगकाँग (चीन) तथा लेवल-3 कम्पनी दुबई में माँग के अनुसार भेजता रहता था। चाईना व दुबई माल भेजने के लिए स्क्रैप के बिल लगा कर भेजते थे। जितने पैसे बिल पर होते थे उसका लेन-देन एकाउन्ट से तथा बाकी माल का पैसा हवाला के माध्यम से आता था। जावेद ने यह भी बताया कि जब उसके गिरोह के सदस्य जेल चले गये तो वह दुबई भाग गया था। जावेद अपने विरूद्ध पंजीकृत अभियोगो में अग्रिम जमानत कराने के लिए कुछ समय पहले वह भारत आया था परन्तु सभी मुकदमो मे अग्रिम जमानत नही मिल पाने के कारण वह पुनः दुबई भागने के फिराक मे था।

पूछताछ करने पर पकडे गये अपराधी जावेद ने यह भी बताया कि उसके गिरोह के कई सदस्य पश्चिमी बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली एन0सी0आर0 व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मोबाइल टावरों से रेडियो रिसीवर यूनिट, बैट्री व अन्य कीमती उपकरण चोरी करते है जिसे वह दुबई व चाईना भेजता है। पूछताछ पर मोबाइल टावरों से रेडियो रिसीवर यूनिट, बैट्री व अन्य कीमती उपकरण चोरी करने वाले अन्य अपराधियों के सम्बन्ध में कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली हैं। जिसके आधार पर टीमें बनाकर माल बरामदगी व गिरफ्तारी हेतु दबिशें दी जा रही हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार की पुलिस कार्यवाही से जनपद गाजियाबाद व आस-पास के क्षेत्रों में मोबाइल टावरों से रेडियो रिसिवर यूनिट, बैट्री व अन्य कीमती उपकरणों की चोरी पर रोक लगेगी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-</u>

1.जावेद उर्फ जावेद मीरापुरिया पुत्र नसीम निवासी म0न0- जी-144 गली न0-13 भागीरथी विहार गोकलपुरी दिल्ली उम्र करीब 32 वर्ष

अभियुक्तगण से बरामदगी का विवरण –

1.मोबाइल टावर की रेडियो रिसिवर यूनिट-05 अदद

2.मोबाइल टावर के ड्यूप्लैक्सर-05 अदद

आपराधिक इतिहास-

1.अभियुक्त के विरूद्ध दिल्ली में 01, नोएडा में 01 व गाजियाबाद मे 05 कुल 07 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

क्राइम ब्रान्च, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

स्वाट टीम, सिटी जोन गाजियाबाद

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम गाजियाबाद

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा स्कूटी चोरी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 10.10.2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार स्कूटी चोरी के अभियोग में वाँछित अभियुक्त कासिम पुत्र मुस्ताक निवासी अशोक बिहार बुद्ध स्कूल के पास चैक पोस्ट वाली गली थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया। । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मैंने अपने दोस्त सोनू उर्फ जफर व मोनिस उर्फ अरबाज के साथ स्कूटी एक्टिवा दिल्ली से चोरी की थी। दिनांक 07.10.2024 को सोनू और मोनिस स्कूटी बैचने जा रहे थे तो उन्हें स्कूटी सहित पुलिस ने पकड लिया था। उस दिन मैं उनके साथ नही था। मुझे बाद में जानकारी मिली थी। हम तीनों ने एक साथ ही स्कूटी की चोरी की थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

कासिम पुत्र मुस्ताक निवासी अशोक बिहार बुद्ध स्कूल के पास चैक पोस्ट वाली गली थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद, उम्र करीब 22 वर्ष।

अपराधिक इतिहास

अभियुक्त के विरूद्ध स्कूटी चोरी के संबंध में दिल्ली में 01 अभियोग पंजीकृत है तथा उक्त चोरी की स्कूटी की बरामदगी के संबंध में थाना ट्रोनिकासिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान दो अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की एक स्कूटी बरामद।

आज दिनांक 10.10.2024 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्त 1. शमीम पुत्र अनीस निवासी ई-48 सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 30 वर्ष व 2. सद्दाम पुत्र जिलेदीन निवासी बिलाल मस्जिद के पास पसौण्डा थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष को डी0ए0वी0 कट राजेन्द्र

नगर के पास शालीमार गार्डन गाजियाबाद से चोरी की एक स्कूटी सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त शमीम पुत्र अनीस व सद्दाम पुत्र जिलेदीन उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण-</u>

गिरफ्तार अभियुक्तगण शमीम पुत्र अनीस व सद्दाम पुत्र जिलेदीन उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि यह स्कूटी हम दोनों ने दिल्ली के सनलाईट कॉलोनी से चोरी की थी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-</u>

1. शमीम पुत्र अनीस निवासी ई-48 सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 30 वर्ष।
2. सद्दाम पुत्र जिलेदीन निवासी बिलाल मस्जिद के पास पसौण्डा थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।

<u>बरामदगी का विवरण-</u>

- चोरी की एक स्कूटी बरामद।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास</u>

1. गिरफ्तार अभियुक्त शमीम पुत्र अनीस के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर चोरी का माल बरामदगी से सम्बन्धित 01 अभियोग व थाना वजीरपुर दिल्ली में चोरी से सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत है। कुल 02 अभियोग पंजीकृत है।
2. गिरफ्तार अभियुक्त सद्दाम पुत्र जिलेदीन के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर चोरी का माल बरामदगी से सम्बन्धित 01 अभियोग व थाना वजीरपुर दिल्ली में चोरी से सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत है। कुल 02 अभियोग पंजीकृत है।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम</u>

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।